

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प02/2015/ 317

दिनांक- 05/05/2015

-:: आदेश ::-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 04.03.15 के द्वारा सभी कार्यालयाध्यक्षों को नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन आहरण करने हेतु अपने अधीन संस्था में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त नहीं होने के कारण समकक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पुनः समस्त कार्यालयाध्यक्षों निर्देश दिये जाते हैं कि अपने अधीन किसी भी चिकित्सक का वेतन जिले में समकक्ष/उच्च रिक्त पद से आहरित करने के आदेश जारी करें। यदि जिले में चिकित्सा अधिकारी का रिक्त पद नहीं होने के कारण संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन से वेतन आहरण करने की स्वीकृति एदत द्वारा प्रदान की जाती है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
7. संबंधित चिकित्सक को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।